

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

विषय: पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति, 2017 का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन संख्या-80/2012 (पी0आई0एल0) श्रीनाथ सेवा मण्डल बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 के अनुपालन में पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति, 2017 को प्रख्यापित करते हुए अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किए जाने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोपरि।


वदीया,
(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 182 (1) /XII(1)/2017-70(08)/2017-रिट तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. डिप्टी रजिस्ट्रार (जूडिशियल), मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल को मा0 न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.03.2017 के क्रम में।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0पत्र संख्या-4/2/XIV/XXI/2017-सी0एक्स दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के क्रम में।
4. सचिव, शहरी विकास/वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जनपद-हरिद्वार।
14. गार्ड फाईल।



आज्ञा से


**पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस
अपशिष्ट प्रबंधन नीति**

वर्ष 2017

विषय वस्तु

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	भाग – 1 प्रस्तावना	5-6
2	भाग – 2 पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2.1 नीति के मुख्य उद्देश्य	7-8
3	भाग –3 (क) जिम्मेदार संस्थाएं – ग्राम पंचायतें 3.1 पंचायतें 3.2.1 ठोस अपशिष्ट की परिभाषा भाग –3 (ख) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ट 3.3.1 औद्योगिक, घातक अपशिष्ट	9-10
4	भाग – 4 शासकीय सिद्धांत 4.1 समुदाय के स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का सिद्धांत 4.1.1 वायु प्रदूषण 4.1.2 जल प्रदूषण 4.1.3 धाराएँ 4.1.4 निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट 4.2. पुर्नचक्रण के लिए संसाधनों की पुनः प्राप्ति 4.2. 1.1 कैरीबैग तथा थर्माकोल डिस्पोजैवलस 4.2.1.2 ग्रामीण स्वच्छता समिति 4.2.1.3 दक्षता गुणक पद्धति 4.3. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता की जिम्मेदारी 4.3.1. अपशिष्ट के प्रकार के अनुसार पात्र में डालना 4.4. उपयोग/पर्यावरण सेवा शुल्क 4.5.1 ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार मौजूदा प्रणाली का सुधारीकरण 4.5.1 अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण 4.5.1.2. घर-घर से संग्रह 4.5.1.3 परिवहन 4.5.1.4 निपटान और उपचार 4.5.2 मूल्य आधारित प्रणाली	11-17

	4.5.3 कम मूल्य आधारित प्रणाली-कबाड़ियों की भागीदारी	
5	भाग- 5 अभिनव तकनीकें 5.1 कचरे से ऊर्जा 5.2 अपशिष्ट को कम करने के लिए संघनीकरण उपकरण –कॉम्पैक्टर्स 5.3 जैविक अपशिष्ट से खाद निर्माण 5.4 पुर्नचक्रण के बाद अवशेष कूड़े का निस्तारण स्थल 5.5 निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट संग्रह केन्द्र 5.6 सड़कों के निर्माण में अपशिष्ट का उपयोग	18-19
6	भाग – 6 प्रसंस्करण दिशा-निर्देश 6.1 पुनः उपयोग में आने वाले अपशिष्ट को हटाना 6.1.1 अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता के उत्तरदायित्व 6.1.1.1 गीला/जैविक अपशिष्ट 6.1.1.2 सूखा/जैविक अपशिष्ट 6.2 अपशिष्ट मिश्रित न करना। 6.3 घरों से उपचार स्थल तक परिवहन 6.3.1 रिक्शा और हाथ गाड़ियाँ 6.3.2.माध्यमिक संग्रह स्थान 6.4. प्लास्टिक की पुर्नप्राप्ति 6.4.1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शैक्षिक रणनीति 6.4.2 प्लास्टिक अपशिष्ट निर्माता की जिम्मेदारी 6.4.3. पुर्नचक्रण प्रावधान 6.4.4 पाईप निर्माण इकाईया 6.4.5. प्लास्टिक के लिए विनियामक रूपरेखा 6.5. कागज की पुर्नप्राप्ति 6.6. धातु की पुर्नप्राप्ति 6.7. कॉच की पुर्नप्राप्ति 6.8. जैविक अपशिष्ट से खाद बनाना 6.8.1. जैविक अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण 6.8.1.1 घर-घर से अपशिष्टों का संग्रहण 6.8.2. उपचार प्रक्रिया 6.8.2.1. एरोबिक पद्धति से खाद बनाना 6.8.2.2 कृषि, बागवानी और वनस्पति में नाडेप एवं वर्मी खाद का उपयोग 6.8.3. कृषि उद्देश्य के लिए खेतों में खाद का उपयोग 6.8.4.खाद के उपयोग के लिए स्थानीय विभागों को दिशा-निर्देश 6.9. इकाई की स्थापना 6.10 बचे हुए अपशिष्ट को सुरक्षित तरीके से सेनिटरी लैंडफिल में भंडारण करना 6.10.1 पुर्नचक्रण के अयोग्य अपशिष्टों का निपटान	20-25

	6.10.2 गैर पुर्नचक्रणीय अपशिष्ट 6.10.3 घरेलू घातक अपशिष्ट 6.11 ग्रामीण सडकों/रास्तों एवं नालियों की सफाई कार्यों के लिए नियम	
7	भाग – 7 सामुदायिक जागरूकता एवं जन शिक्षा कार्यक्रम 7.1.जानकारीप्रद शिक्षा सामग्री 7.2. राज्य स्तर पर प्रोत्साहन और निर्वहन 7.3. ग्राम पंचायतों के लिए डाटा बैंक और अन्य कार्यक्रम 7.4. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण 7.5 अवशिष्ट प्रवाह	25–27
8	भाग – 8 बायोमैडिकल कचरे का प्रबन्धन 8.1 अस्पताल, क्लीनिक, रोग विज्ञान केन्द्र एवं नर्सिंग होम से संग्रह	28
9	भाग – 9 संस्थागत ढांचा 9.1. राज्य स्तर पर कार्यकारिणी समिति 9.2 निदेशालय स्तर पर सलाहकार समिति 9.3. जिला स्तर पर निगरानी और कार्यान्वयन समिति 9.4. जिला स्तर पर सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति 9.4.1. पंचायत स्तर पर भूमिका और उत्तरदायित्व 9.4.2 ग्राम पंचायत स्तर पर मशीनरी/उपकरणों की खरीद 9.5. समूह कार्य के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के क्रियान्वयन हेतु समिति का प्रारूप	29–34
10	भाग –10 मुख्य प्रदर्शन संकेतक	35–40
11	भाग –11 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने के लिए संगठनात्मक चार्ट	41
12	भाग –12 उल्लंघन, दण्ड और पुरस्कार 12.1 – उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार	42
	खण्डवार ज्ञापन	43

प्रस्तावना- 1

भारत के संविधान के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राज्य का विषय है जिसमें सभी राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीतियों को ग्राम पंचायतों में लागू करें। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य की ग्राम पंचायतें कुल **52,851.08** किमी⁰ क्षेत्रफल में फैली हैं, जिनमें लगभग 7036954 ग्रामीण आबादी प्रतिदिन लगभग **703.69** (100 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रति दिवस) टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। यह समस्या उत्तराखण्ड के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर देखी जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से चार धाम यात्रा मार्ग पर बसे गाँवों में ठोस अपशिष्ट भारी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। इन स्थानों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं निस्तारण करने के पुराने तौर तरीके अपनाये जाते हैं, जैसे कि-झाड़ू के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों से अपशिष्ट को ढलानों में गिरा देना।

गर्मियों में अपशिष्ट का विघटन ज्यादा तेजी से होता है जिसके कारण हाइड्रोजन सल्फाइड, कैडावेरिन और प्यूटीसेन्स जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। मानसून के दौरान जिन स्थानों में अपशिष्ट के ढेर होते हैं, वहां घातक बीमारियां उत्पन्न होती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इसके अतिरिक्त यदि अपशिष्ट का निपटान सही स्थानों तथा सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसके कारण आवासा पशु अवशिष्टों के ढेर में विचरण करते हैं, जिसके कारण जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मैदानी क्षेत्रों में जल जमाव का मुख्य कारण नालियों में फँके जाने वाला अपशिष्ट है जिसके कारण नालियों से जल का निकास अवरुद्ध हो जाता है और जल भराव की सम्भावना बढ़ जाती है। यद्यपि उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम पंचायतें, जो शहरी क्षेत्रों के आसपास हैं वहां के गाँवों की सफाई पर अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती है, लेकिन फिर भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है। अधिकांश ग्राम पंचायतों को अभी तक इस बात का भी अनुमान नहीं है कि उनके क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट कितनी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है।

शहरी क्षेत्रों के आस पास की ग्राम पंचायतों का शहरीकरण होने तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि के कारण अपशिष्टों का निपटान अनियंत्रित रूप से शहरी क्षेत्रों से लगी ग्राम पंचायतों के आस पास, सड़क के किनारे व पहाड़ी ढलानों तथा नदी नालों में किया जा रहा है, जो राज्य के पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

उक्त समस्याओं के दृष्टिगत रिट याचिका संख्या-80/12 साईंनाथ सेवा मण्डल बनाम राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 16.03.2017 का अनुपालन करते हुए पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड अपशिष्ट प्रबंधन नीति प्रस्तावित किया गया है। यह नीति राष्ट्रीय स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में गठित नीतियों का संज्ञान लेते हुए प्रस्तावित की गई है।

भाग – 2

पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति

उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति एक मार्गनिर्देशिका है, जो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित परिणामों की पूर्ति की एक योजना है। यह नीति पंचायती राज संस्थाएं और समुदाय के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर केंद्रित है, जो राज्य के पंचायतों और ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जरूरी है। इस नीति का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। एक प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति द्वारा विभिन्न गतिविधियों की दक्षता में सुधार के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिससे संसाधन और ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी स्तरों पर एक व्यावहारिक बदलाव किया जा सकता है। इससे कम अपशिष्ट पैदा करने व उसको अलग-अलग रखने से पुनर्चक्रण को बल मिलेगा। इसके जैविक अपशिष्टों से खाद तैयार की जायेगी व अजैविक अपशिष्ट से नई वस्तुयें बनाकर संसाधनों का संरक्षण किया जायेगा।

2.1 नीति के मुख्य उद्देश्य

यह नीति उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों, विविधताओं एवं जटिलताओं के अनुरूप प्रस्तावित है जो सामाजिक सहभागिता के फलस्वरूप पर्यावरण व संसाधनों के दुरुपयोग को संरक्षित कर स्वच्छ वातावरण का निर्माण करेगी।

- (1) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक कार्ययोजना ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में जनसहभागिता के आधार पर विकसित की जायेगी।
- (2) यह नीति राज्य स्तर पर कार्यकारिणी समिति, निदेशालय स्तर पर सलाहकार समिति, जिला स्तर पर निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति/सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित होने वाली स्वच्छता समिति के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिकी मूल्यों को बनाये रखने के लिए समुदाय द्वारा जैविक एवं अजैविक कूड़े को अलग-अलग करने एवं कूड़े के प्राथमिक संग्रहण पर उपयोगकर्ता शुल्क (user fee) का प्रावधान किया जाएगा।
- (4) अपशिष्टों का मूल्य संवर्धन के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी।
- (5) ग्राम पंचायतों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट की मात्रा एवं प्रकार का अनुमान लगाते हुए ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा।
- (6) पारिस्थितिकी एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा।

- (7) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत के प्रधानों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला पंचायत अधिकारियों/ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों और ग्राम स्वच्छता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराया जाएगा।
- (8) उच्च और निम्न मूल्य आधारित अजैविक, ठोस अपशिष्ट जैसे पेपर, प्लास्टिक, धातु और कांच आदि के उपयोग हेतु एक कार्यनीति विकसित करना ताकि अपशिष्ट से आय प्राप्त की जा सके।
- (9) समुदाय में अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति व्यावहारिक बदलाव व जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारीयों से सम्बन्धित साहित्य जैसे-पत्राचार, पोस्टर, बैनर, मीडिया संचार को विकसित कराया जाएगा।
- (10) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (11) अपशिष्ट संग्रहण दल की दक्षता बढ़ाना। सभी प्रकार के अपशिष्ट का एकीकरण करना जिसमें निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट, बायोमैडिकल अपशिष्ट और जिला पंचायतों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों जैसे-लोक निर्माण विभाग, आवास, वन, पर्यटन, विनियामक क्षेत्र, यू.एल.बी. और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता शामिल हैं।
- (12) सरकार द्वारा निर्धारित किये गये नियमों के अनुरूप एक नागरिक घोषणा पत्र तैयार करना जिसमें स्पष्ट रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का लक्ष्य एवं दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।
- (13) मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन और प्रबंधन प्रणाली में सुधार करने के लिए अपशिष्ट धाराओं के प्रबंधन हेतु एक विनियामक ढांचा तैयार किया जाएगा।
- (14) किसी भी प्रकार के अपशिष्ट, विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट को ना जलाने के लिए ग्राम पंचायतों में जागरूकता बढ़ायी जाएगी।

भाग – 3 जिम्मेदार संस्थाएं

3.1 पंचायतें:

राज्य में 95 क्षेत्र पंचायत, 13 जिला पंचायत और 7958 ग्राम पंचायत हैं जिनमें से मैदानी क्षेत्रों में 20, एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 75 क्षेत्र पंचायतें, 3 जिला पंचायत मैदानी क्षेत्रों एवं 10 पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। 1068 ग्राम पंचायत मैदानी क्षेत्रों में एवं 6890 ग्राम पंचायतें पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। इन क्षेत्रों में घरों, संस्थानों, होटलों, व्यापार केन्द्रों आदि से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन व रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। चारधाम व प्रदेश में स्थित ट्रेक मार्गों पर, जहां वन विभाग की भी भागीदारी हो वहां अपशिष्ट प्रबंधन जिला पंचायतों द्वारा किया जायेगा। विशिष्ट अपशिष्ट जैसे घोंडों की लीद का निस्तारण कम्पोस्टिंग या बायोगैस तकनीक द्वारा किया जायेगा व अजैविक कूड़े को निस्तारण स्थल तक आसानी से ले जाने के लिए कूड़ों का आकार कम करने वाले सघनीकरण उपकरण (compactors) का उपयोग किया जाएगा।

3.2.1 ठोस अपशिष्ट की परिभाषा :

ठोस अपशिष्ट से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो दैनिक उपयोग के उपरान्त जनित होता है। इसमें विद्यमान अवयव जैविक, अजैविक व निष्क्रिय होते हैं। इनकी प्रकृति हर क्षेत्र में भिन्न होती है। जीवन शैली, संसाधन, आय, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अपशिष्ट उत्पादन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होता है। ठोस कचरे का दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करने के लिए इन सभी मदों को एक समान स्तर पर लाना होगा। पंचायतों और विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त धन जुटाने हेतु अधिक से अधिक अपशिष्टों का संग्रहण करना होगा, जिससे आय का साधन सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही पर्यावरण संवर्द्धन किया जा सकेगा।

उदाहरणार्थ

जैविक :- रसोई घर में जनित अपशिष्ट, पेड़ की पत्तियां, शाखायें आदि।

अजैविक:- कागज, प्लास्टिक, धातु, कोंच आदि।

निष्क्रिय:- घर की झाड़न आदि।

भाग -3 (ख)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

3.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ट :-

जैव चिकित्सा अपशिष्ट को चिकित्सा अपशिष्ट या क्लीनिकल अपशिष्ट के रूप में भी जाना जाता है। सामान्य रूप से स्वास्थ्य परिसर जैसे अस्पताल, दवाखाने और क्लीनिक से उत्पादित अपशिष्टों का उल्लेख जैव चिकित्सा अपशिष्ट में होता है। इसमें पशु अपशिष्ट भी शामिल है जो ट्रेक मार्गों में स्थित स्टेशनों में बिखरा रहता है। बायोमैडिकल अपशिष्ट को सामान्यतः ठोस अपशिष्ट के साथ निस्तारित कर दिया जाता है जिससे ठोस अपशिष्ट दूषित हो जाता है। ऐसे अपशिष्टों का प्रबंधन उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू.ई.पी.पी.सी.बी) को अनिवार्य रूप से करना होगा। इस प्रकार का अपशिष्ट स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा होता है इसे बायोमैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार विनियमित करने की आवश्यकता है।

3.3.1 औद्योगिक, घातक अपशिष्ट

उद्योग कार्यशालाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले औद्योगिक और घातक कचरे एवं ई-वेस्ट (E-WASTE) का प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनिवार्य रूप से करना होगा क्योंकि पंचायतें इस तरह के कचरे के प्रबंधन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

भाग – 4

शासकीय सिद्धांत

4.1 समुदाय के स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का सिद्धांत

स्वास्थ्य और पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए एक सक्रिय सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा जिसमें लागत को प्रभावी तरीके से एकीकृत ठोस कचरे के प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान होगा। इस सिद्धान्त के तहत सभी हितधारकों के साथ समन्वय करते हुये, क्षेत्र विशिष्ट क्षमताएं, दक्षता और साझादारी को विकसित किया जाएगा।

	लक्ष्य –I	लक्ष्य –II	लक्ष्य –III
परिप्रेक्ष	सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थिकी तंत्र का जोखिम कम करना।	SWM / PWHM से संबंधित नियामक ढांचे का अनुपालन।	ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय के साथ साझेदारी में गठित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समिति को सुदृढ़ बनाना।
उद्देश्य (एक)	मानव के लिए ठोस अपशिष्ट का जोखिम कम करना।	SWM नियम 2016 और जी.ओ. नम्बर सं 113/07/बारहवीं/ 90 (11)2006, दिनांक 2 अप्रैल 2007 का अनुपालन करना।	नियमों का अनुपालन करने और विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को ग्रहण करने के लिए ग्राम प्रधानों व सफाई कर्मियों का क्षमता विकास करना।
उद्देश्य (दो)	हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति और जीवों के संदर्भ में पर्यावरण पर प्लास्टिक अपशिष्ट का कम से कम प्रभाव।	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2016 और UPNBSG एक्ट 2013 का अनुपालन सुनिश्चित करना।	औपचारिक प्रणाली के साथ कबाड़ी की साझेदारी के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के लिए एक मूल्य श्रृंखला विकसित करना।
उद्देश्य (तीन)	मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम करना।	वर्ष 2016 में संशोधित बायो मैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना।	दिशा-निर्देशों के अनुसार जैव चिकित्सा कचरे के निपटान की निगरानी के लिए पंचायतों में जागरूकता बढ़ाकर रिपोर्ट यू.ई.पी.पी.सी.वी. को देना।

उद्देश्य (चार)	पर्यावरण पर निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट का प्रभाव कम करना।	निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों को तैयार करना।	अपशिष्ट के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए ऐसे कचरे का सुरक्षित निपटान के लिए पंचायतों की आंतरिक क्षमता का निर्माण करना। पर्यावरणीय सुस्था लिए पर्यावरणीय शुल्क का प्रावधान।
----------------	--	--	--

4.1.1 वायु प्रदूषण :-

जिन स्थानों पर कूड़ों का निस्तारण किया जा रहा है वहाँ पर अपशिष्टों के ढेर झाड़ू लगाने के उपरान्त इक्कठे होते हैं, उसमें आग लगने के कारण वायु प्रदूषण होता है जो घातक बीमारियां पैदा करता है, ऐसे स्थान खतरनाक साबित होते हैं। प्लास्टिक और पेपर जैसे मिश्रित कचरे को जलाने से क्लोरीन, कार्बन-डाय-ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सी.एफ. सी, फ्यूरान (Furan) और डाइऑक्सीन (DIOXIN) जैसी विषाक्त गैसों का उत्सर्जन होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुये कूड़े को जलाने पर प्रतिबंधित लगाया गया है, जो एस.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम, 2016 उत्तराखंड प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट (उपयोग और निपटान) नियम, 2013 में प्रतिबंधित है।

4.1.2 जल प्रदूषण

अनुपचारित अपशिष्ट और उसका सुनियोजित तरीके से निपटान न करने से पारिस्थितिकीय व प्राकृतिक सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फैला हुआ अपशिष्ट अक्सर पहाड़ी ढलानों पर एकत्रित हो जाता है जो कि बरसात के जल को अवरुद्ध करता है जिसके कारण भूस्खलन होता है। एकत्रित अपशिष्ट के ढेरों और निपटान स्थलों से बहने वाले पानी से जल प्रदूषण और जल आपूर्ति की गंभीर समस्या होती है। कूड़ा स्थलों के निकट वाले क्षेत्रों में भारी धातुओं की उपस्थिति चिंता का विषय है इसलिए स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन की पद्धति अपनाया जाना आवश्यक है।

4.1.3. धाराएँ

कचरे के ढेर का सतही प्रभाव तब अनुभव किया जाता है जब जल निकासी व्यवस्थित रूप से नहीं होती हैं। घाटियों और क्षेत्रीय इलाकों में वर्षा जल निकासी की व्यवस्था अपशिष्ट और प्लास्टिक की वजह से भारी मात्रा में भरी और बिखरी हुई रहती है। बारह मासी नदी और धाराएँ जो पूरे क्षेत्र में जीवन और जीविका प्रदान करती हैं, को कचरा निपटान का माध्यम माना जा रहा है, यह नदियों के उठें हुए किनारे के रूप में अनुभव किए जा सकते हैं।

4.1.4 निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट (कन्स्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट) :-

निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट (कन्स्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन अपशिष्ट) ठोस अपशिष्ट का भाग माना जाता है और इस तरह के मिश्रित कचरे को आम तौर से नदियों, पहाड़ी ढलानों डंपिंग स्थलों पर निपटाया जाता है इससे न केवल अपशिष्ट निस्तारित स्थानों का जीवन काल कम होता है बल्कि उन भू-ढलानों का भी क्षरण होता है जो कि वर्षा जल का सुचारू प्रवाह करता है। परिणामतः यह आसपास के पादप जगत को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही नदी के जल स्तर को बढ़ाता है।

4.2. पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) के लिए संसाधनों की पुनः प्राप्ति

अपशिष्टों के गुणों एवं प्रकृति के अनुसार छोटना कूड़ा निस्तारण की रणनीति विकसित करने का आधार है जो संसाधन और ऊर्जा संरक्षण के लिए एक आवश्यक कदम है। इसको अलग-अलग करने से खाद की गुणवत्ता में सुधार आता है और पर्यावरण पर दबाव कम होता है।

अपशिष्टों का सुनियोजित प्रबन्धन समुदाय की साझेदारी और गांव के सभी हिस्सेदारों पर आधारित है, क्योंकि यह एक विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देता है। इस पद्धति के द्वारा अपशिष्टों से खाद तैयार की जा सकती है। यह अपशिष्ट संग्रह प्रणाली व परिवहन व्यय कम करता है साथ ही इसके लिए भूमि की आवश्यकता भी कम होती है। पृथक्करण के पश्चात अजैविक (गैर बायोडीग्रेडेबल) अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के माध्यम से अंतिम निपटान के लिए भेजा जायेगा। यह रणनीति संसाधनों के संवर्द्धन के साथ ही राष्ट्रीय ऊर्जा का भी संरक्षण करेगी।

4.2.1.1 कैरीबेग तथा थर्माकोल डिस्पोजिवलस

उपरोक्त पदार्थों पर उत्तराखण्ड शासन आदेश पत्रांक-88/X-3-17(11)/2001 दिनांक 25.01.2017 द्वारा प्रतिबंध आरोपित किया गया है। ग्राम पंचायतें उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

4.2 .1 ग्रामीण स्वच्छता समिति :-

संविधान की 11 वीं अनुसूची में पंचायतों को विधि बनाने की शक्तियां निहित हैं। उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 23 जिसमें ग्राम पंचायतों के कृत्यों का वर्णन है, जिसमें धारा-तेईस के प्रस्तर (क) में ग्रामीण स्वच्छता के प्रोन्नति सम्बन्धी कृत्य शामिल हैं। उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 145 में ग्राम पंचायत के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। समिति भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची के क्रमांक 23,24,25,26,27 से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन करने के लिए अधिकृत है। उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 46 के प्रस्तर 16,17 में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। उपधारा 16, 17 में वर्णित प्रावधान निम्नवत है।


- (16) ग्राम पंचायत में कूड़ा-करकट, गंदगी आदि को प्रत्येक घर से एकत्र करने एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का अधिकार (निरंतर सड़कों की सफाई, प्रतिदिन गंदगी की सफाई, मृतक पशुओं को हटाया जाना, कूड़ादान, व्यक्तिगत कूड़ा-करकट इकट्ठा करवाना, एकत्रित गंदगी, कूड़ा-करकट डिपों तक पहुंचाना, कूड़ादान तथा पशुओं के शव, संस्थागत कचरा, व्यापारिक कचरा, राख, धूल, घरेलू कचरे के अस्थायी एकत्रीकरण हेतु स्थान एवं पात्र धारक के सम्बंध में व्यवस्था) ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत कर सकेगी।
- (17) यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है तो निजी शौचालय और नालियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है।

ग्राम पंचायत स्तर पर उपरोक्तानुसार गठित स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति उक्त कार्यों के लिए अधिकृत होगी, समिति की सहायता के लिए ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता उपसमिति गठित करेगी, जिसका संरक्षक वार्ड सदस्य होगा।

यह उपसमितियां निर्धारित समय पर प्रतिदिन एकत्र किया गया ठोस अपशिष्ट और उसका निस्तारण एक निर्धारित स्थान पर करेगी। ग्रामीण स्वच्छता समितियों द्वारा अपशिष्ट संग्रह में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक चक्र (रोस्टर) बनाया जायेगा। स्वच्छता सेवाओं के लिए ग्रामीणों से उपयोग शुल्क (user charge) लिया जायेगा। जिसे ग्राम पंचायत के खाते में जमा किया जायेगा।

बुनियादी सुविधाओं जैसे – ठेले, रिक्शा/ कूड़ादान , डिब्बे आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा की जायेगी,और इन उपकरणों के रख रखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण स्वच्छता समिति की होगी।

42.1.3 दक्षता गुणक पद्धति (Efficiency Multiplier Approach)



4.3. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता की जिम्मेदारी

ठोस अपशिष्ट को स्रोत के अनुसार तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जैसे-घरेलू, वाणिज्यिक और संस्थागत अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट ग्राम पंचायत के अपशिष्ट का सबसे बड़ा हिस्सा 81 प्रतिशत है, घरेलू संस्थागत (इस्टीट्यूशन) और वाणिज्यिक, बाजार, होटल और रेस्टोरेंट आदि अपने कूड़े को मिश्रित रूप से निस्तारित करते हैं। इस तरह के अपशिष्टों का निपटारा खुले भूमि भरण (डम्पिंग) के माध्यम से किया जाता है। संसाधन संरक्षण के लिए अपशिष्ट को स्रोत से ही अलग करने की जिम्मेदारी उत्पादनकर्ता की होगी।

4.3.1. अपशिष्ट के प्रकार के अनुसार पात्र में डालना

प्रत्येक घर, व्यापारी संस्थाएँ, होटल, रेस्टोरेंट आश्रम, पूजा के स्थानों में अलग अलग तरीके के अपशिष्ट को पृथक करने के लिए दो अलग-अलग जैविक एवं अजैविक कूड़ादान रखेंगे।

4.4 उपयोग शुल्क/पर्यावरण सेवा शुल्क

उपयोग /पर्यावरण (ईको-सिस्टम) सेवा शुल्क के भुगतान के माध्यम से अपशिष्ट संग्रह और निपटान की प्रक्रिया में लगने वाली लागत को समुदाय से लिया जाने का प्रावधान होगा। यह योगदान समुदाय के स्वामित्व और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता विकसित करेगा। यह साझेदारी आने वाले समय में एक बहुआयामी और बहुहितधारक साझेदारी विकसित करेगा जो संसाधनों के स्थायी उपयोग और इसके निपटान के लिए आवश्यक है। गाँव की स्वच्छता समितियों और अपशिष्ट संग्रह दल की बेहतर सेवा के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम को उनके स्वामित्व में लाना होगा।

4.5.1 ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार मौजूदा प्रणाली का सुधारीकरण

4.5.1.1 अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण

उपरोक्ता ठोस अपशिष्ट को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित करेगा, गीले जैविक अपशिष्ट के प्रमुख घटक रसोई के अपशिष्ट होते हैं जबकि सूखा /अजैविक कागज, प्लास्टिक, धातु और गिलास होते हैं। ग्राम पंचायत के अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए कूड़ादान निर्धारित रंग कोड अपशिष्ट प्रबंधन के नियम 2016 के अनुसार होंगे।

4.5.1.2. घर –घर से संग्रह:

गीला अपशिष्ट प्रत्येक दिन घर-घर से संग्रह किया जाएगा और सूखे अपशिष्ट को सप्ताह में दो बार एकत्र किया जायेगा।

4.5.1.3 परिवहन :

तरल व सड़े अपशिष्ट की समस्याओं से बचने के लिए उसका परिवहन बन्द डिब्बों में किया जायेगा।

4.5.1.4 निपटान और उपचार :

पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में स्थित पंचायतों में जैविक अपशिष्ट से वर्मी एवं नाडेप तकनीक द्वारा खाद बनायी जायेगी। शेष अपशिष्ट पृथक करके अंतिम उपयोग अथवा निपटान के लिए भेजा जाएगा।

4.5.2 मूल्य आधारित प्रणाली

मूल्य आधारित पुनरावर्तनीय अपशिष्ट जैसे अखबार धातु, उच्च गुणवत्ता का प्लास्टिक और कांच की बोतलें आदि जो कबाड़ियों द्वारा घर-घर जाकर लाया जाता है उसको घर में ही पृथक किया जाता है। लगभग 15-20 प्रतिशत मूल्य आधारित अपशिष्ट का निपटान कबाड़ियों द्वारा किया जाता है।

4.5.3 कम मूल्य आधारित प्रणाली- कबाड़ियों की भागीदारी

कथित अपशिष्ट को हर कोई अपशिष्ट नहीं मानता है। कूड़ा निस्तारण स्थल पर कबाड़ियों द्वारा छोटे पैमाने पर दूसरे लोगों से अपशिष्ट से मूल्य प्राप्त करते हैं, संस्थागत औपचारिक क्षेत्र के माध्यम से इन अनौपचारिक क्षेत्र की साझेदारी, संसाधन वसूली और ऊर्जा संरक्षण के लिए अवयव परावर्तन (मटीरियल डाइवरसन) कार्यक्रम को पूर्ण करेगा।

भाग- 5

अभिनव तकनीकें

5.1 कचरे से ऊर्जा

कचरे से ऊर्जा प्रौद्योगिकी को कूड़े की मात्रा के अनुसार किया जा सकता है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश के लिए उपयुक्त ऊष्मई (थर्मल) प्रक्रिया आधारित गैसीकरण और पायरोलिसिस तकनीक की सिफारिश करता है। बायो मीथेनीकरण वहाँ ऊर्जा उत्पन्न करने में सफल रहा है जहाँ कचरा समरूप हो, जैसे बायोमास, गाय का गोबर, मुर्गी पालन, बूचडखानों का अपशिष्ट इत्यादि।

5.2 अपशिष्ट के आकार को कम करने का संघनीकरण उपकरण (कॉम्पैक्टर)

अजैविक (गैर बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट विशेष रूप से प्लास्टिक और कागज को सामान्य प्रक्रिया में ग्राम पंचायत की अपशिष्ट धाराओं में डाल दिया जाता है। इन सामग्रियों की उच्च पुनर्चरणीय क्षमता होती है और इस तरह उन्हें लम्बी दूरी पर परिवहनीय बनाने के लिए संघनीकरण (कॉम्पैक्ट) किए जाने की आवश्यकता होती है, जिससे संघनीकरण के बाद कचरे के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। धातु और कॉच मूल्यवर्धी सामग्री हैं अपशिष्ट से ग्राम पंचायत के लिये राजस्व अर्जित कर सकती है।

5.3 जैविक अपशिष्ट से खाद निर्माण

जैविक कचरा एक बहुमूल्य संसाधन है और इसे खाद बनाने की तकनीक नाडेप एवं वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है, इसके अलावा यह प्रक्रिया कार्बन को सोखने में भी मदद करती है और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकता है।

5.4 पुनर्चरण के बाद अवशेष कूड़े का निस्तारण स्थल (लैंडफिल साइट)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैडलिंग नियम 2016 की **अनुसूची-1** के अनुपालन में वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए लैंडफिल में कॉम्पैक्शन और कम्पोस्टिंग के बचे हुए अवशेषों को समाप्त करने की आवश्यकता है। अवयव परावर्तन (मटिरियल डाईवर्जन) रणनीति अवशेषों की मात्रा को कम कर देती है यह अपशिष्ट कचरे को संभालने का उपयुक्त तरीका है। पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडफिल का निर्माण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैडलिंग नियम 2016 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट

(कन्सट्रक्शन और डिमोलिशन) को लैंडफिल में ना डाला जाए क्योंकि यह उनके जीवनकाल को छोटा कर देता है।

5.5 निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट (कन्सट्रक्शन और डिमोलिशन) संग्रह केन्द्र

निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट (कन्सट्रक्शन और डिमोलिशन): अपशिष्ट कचरे में निर्माण व विनाश सामग्री, रास्ता कटान भूस्खलन और सड़क के किनारों से उत्पन्न सभी अपशिष्ट शामिल होते हैं। इस तरह के कचरे के निपटान के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्उपयोग में लाने का प्रावधान है।

5.6 सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग

पौलीथीन अपशिष्ट जिसकी गुणवत्ता 1500 किलो कैलौरी प्रति किलोग्राम होगी, उसको पुनर्चक्रित कर लोक निर्माण विभाग व सड़क निर्माण में जुड़ी अन्य एजेन्सियों द्वारा सड़क निर्माण में उपयोग करने का प्रावधान है।

भाग – 6 प्रसंस्करण दिशानिर्देश

6.1 पुनः उपयोग में आने वाले अपशिष्ट को हटाना

कचरे के वैज्ञानिक उपचार के लिए एक संसाधन के रूप में ठोस कचरे के पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है।

6.1.1 अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता के उत्तरदायित्व

कचरा उत्पन्नकर्ता कचरे को स्रोत पर ही अलग करेगा।

6.1.1.1 गीला /जैविक अपशिष्ट

रसोई अपशिष्ट जिसमें छिलके और बचा हुआ भोजन शामिल है उन्हें कम्पोस्टिंग के माध्यम से निपटान के लिए अलग से रखा जायेगा।

6.1.1.2 सूखा/जैविक अपशिष्ट

सूखा कचरा जिसमें कागज, प्लास्टिक (सभी प्रकार), दवाओं के खाली पैपर, सिरप की बोतलें, धातु और इत्यादि को अलग से डिब्बों में रखा जायेगा।

6.2 अपशिष्ट को मिश्रित न करना

कचरा संग्रहकर्ता को यह सुनिश्चित करना है कि कचरा मिश्रित नहीं किया जायेगा और क्षेत्र विशिष्ट की आवश्यकताओं के अनुसार अपशिष्ट संग्रह के लिए एक समय सारिणी निर्धारित कर अपशिष्ट का निस्तारण किया जायेगा।

6.3 घरों से उपचार स्थल तक परिवहन

अलग अलग कचरे को विशिष्ट रूप से निर्मित किये गये वाहनों में ले जाने की आवश्यकता है यहां पर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट मिश्रित न हो। गीला कचरा दैनिक आधार पर एकत्रित होगा जबकि सूखा कचरा सप्ताह में एक या दो बार एकत्रित किया जाएगा।

6.3.1 रिक्शा और हाथ गाड़ियों

कचरे के रिसाव और बिखराव को रोकने के लिए घर घर से संग्रहित कचरा विशिष्ट परिवहन वाहनों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कंधों पर उठाए जाने वाले डिब्बे, हाथ गाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से जुड़ी पंचायतों में रिक्शा द्वारा किया जायेगा।

6.3.2 माध्यमिक संग्रह स्थान

उपभोक्ता अपशिष्ट के अंतिम निपटान के लिए पर्याप्त डिब्बे/संग्रहण (कंटेनरिंग) केन्द्रों पर उपलब्ध करवाना।

6.4. प्लास्टिक की पुनर्प्राप्ति

सुखें अपशिष्ट को चार घटकों में विभाजित किया जायेगा जैसे- कागज, प्लास्टिक, कॉच और धातु। कई प्रकार के प्लास्टिक होने से इन्हें सात भागों में अलग किया जायेगा (प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हैडलिंग नियम-2016 की अनुसूची) व सघनीकरण (कॉम्पैक्ट) करके पुनर्चकण के लिए भेजा जायेगा।

6.4.1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शैक्षिक रणनीति:

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए, स्कूलों, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इसके अलावा समुदाय के लिए उपयोगी एवं जनकारीप्रद पाठ्य सामग्री के रूप में तैयार की जायेगी।

6.4.2 प्लास्टिक निर्माता की जिम्मेदारी

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हैडलिंग नियम 2016 के “पौल्यूटर पैस सिद्धान्त” के आधार पर प्लास्टिक प्रदूषक उत्पादक एवं प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों से सेवा शुल्क लेने का प्रावधान है साथ ही उद्योग व कंपनियों अपने पैकिंग के प्रति जबावदेह भी होगी।

6.4.3. पुनर्चकण प्रावधान

प्लास्टिक का पुनर्चकण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। पैकिंग और अन्य उपयोग किये जाने वाले थर्मोप्लास्टिक का एक छत के नीचे प्रबंधन किया जा सकता है लेकिन पुनर्चकण नहीं किया जा सकता है। सभी सात (7)

पौलिमरस का जीवन चक्र अलग होता है। इसे संभावित अपशिष्ट डीलरों और इकाइयों को अंतिम उपयोग निपटान के लिए जोड़ा जायेगा।

6.4.4 पाइप निर्माण इकाईयाः

फिल्म प्लास्टिक्स को एक्सट्रूजन (Extrusion) व मोल्डिंग के द्वारा पाइप जैसे टिकाऊ वस्तुओं को बनाने में उपयोग किया जायेगा। एच.डी.पी. या पीपी से बने हुए थैलों में बहुत कम मूल्यवर्धन होता है। इस अपशिष्ट को माध्यमिक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जायेगा।

6.4.5 प्लास्टिक के लिए विनियामक रूपरेखाः

ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैडलिंग नियम 2016 और अन्य अजैविक अपशिष्ट का उपयोग व निपटान उत्तराखण्ड प्लास्टिक अपशिष्ट एवं अन्य अजैविक अपशिष्ट अधिनियम-2013 के अनुसार होगा। इस अधिनियम के अनुसार नियम का अनुपालन न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जुर्माना व चालान करने का प्रावधान है।

6.5. कागज की पुर्नप्राप्ति

कागज एक बहुमूल्य संसाधन है इसे मिल बोर्ड, डिब्बों,रिकार्ड पेपर,और स्कैप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको पृथक करके सघनीकरण उपकरण (Compactor) द्वारा सघन करके पुर्नचकण इकाईयों में भेजा जायेगा।

6.6. धातु की पुर्नप्राप्ति

टिन और कच्ची सामग्री युक्त धातु को पुर्नचकण के माध्यम से अंतिम उपयोग और निपटान के लिए सघनीकरण कर के पुर्नचकित किया जायेगा।

6.7. कोंच की पुर्नप्राप्ति :

कोंच के रूप में बोतलें, टूटे गिलास कोंकरी, बल्ब अपशिष्ट को पृथक कर के पुर्नप्राप्त और पुर्नचकित किया जायेगा।

6.8. जैविक अपशिष्ट से खाद बनानाः

जैविक अपशिष्ट में लगभग 60 प्रतिशत जैविक पदार्थ होते हैं जिनमें 70 प्रतिशत नमी होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और पोटेशियम (एन.पी.के) जैसे आवश्यक तत्व, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं उन्हें कम्पोस्टिंग के माध्यम से पुर्नचकित किया जायेगा।

6.8.1. जैविक अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण:

रसोई घरों में उत्पन्न जैव विघटनशील अपशिष्ट को अलग रखा जायेगा जिससे अच्छी गुणवत्ता व प्रदूषक रहित खाद तैयार की जा सकेगी।

6.8.1.1 घर –घर से अपशिष्टों का संग्रहण:

पहाड़ी क्षेत्रों में घरों से उत्पन्न जैविक अपशिष्ट को उठा कर कूड़ादान में एकत्र किया जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में वाहन/रिक्शा में स्थित कूड़ादानों में एकत्रित किया जायेगा। पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों के इस अपशिष्ट को कम्पोस्टिंग साइट पर उपचार के लिए ले जाया जाएगा। सूखे कचरे के एकत्रीकरण के लिए न्यूनतम मूल्य पर एल.डी.पी.ई के प्लास्टिक बैग ग्राम पंचायत द्वारा सभी परिवारों को मूल्य पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। इससे अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक्कीकरण एवं भण्डारण किया जा सकेगा।

6.8.2 उपचार प्रक्रिया:

पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतें विकेन्द्रीकृत कम्पोस्टिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ग्राम एवं वार्डों में उपलब्ध भूमि को जैविक अपशिष्ट को बातजीवी कम्पोस्टिकरण द्वारा उपचारित करेगा।

6.8.2.1.एरोबिक पद्धति से खाद बनाना

जैविक अपशिष्ट को नाडेप या वर्मी कम्पोस्ट विधि से खाद बनायी जायेगी। कम्पोस्टिंग की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्तप्रेरक के रूप में प्रभावी सूक्ष्म जीवी समाधान, गायों का गोबर और सीरे का उपयोग किया जाएगा।

6.8.2.2 कृषि,बागवानी और वनस्पति में नाडेप एवं वर्मी खाद का उपयोग :-

नाडेप एवं वर्मी खाद द्वारा कृषि,बागवानी और वानस्पतिक अपशिष्ट का निपटान करने के लिए ग्राम पंचायतें विशेष प्रावधान करेगी।

6.8.3 कृषि उद्देश्य के लिए खेतों में खाद का उपयोग:-

ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट से बनी हुई खाद का प्रयोग खेतों में कृषि के लिए करेंगे।

6.8.4.खाद के उपयोग के लिए स्थानीय विभागों को दिशा-निर्देश-

खाद को वन, उद्यान और जैविक बोर्ड को भी बेचा जा सकता है।

6.9. इकाई की स्थापना

थोक, मध्यम और अल्प अपशिष्ट उत्पादकों के लिए एक दिशा निर्देश जारी करना होगा जिससे इस अपशिष्ट का प्रबन्धन नियमों के अनुरूप हो सकें। निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट (कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन) को सड़को और फुटपाथों के निर्माण में उपयोग किया जायेगा। इसके लिए निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट(कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन) अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक केन्द्रीकृत व्यवस्था की जायेगी। इस अवशिष्ट से पेवर्स और ईट बनाने हेतु पुर्नचकण इकाईयों स्थापित की जायेगी।

6.10 बचे हुए अपशिष्ट का सेनिटरी लैंडफिल में मंडारण करना-

समस्त अपशिष्टों के उपचार के उपरान्त बचे हुये अपशिष्ट को ग्राम पंचायतें मैदानी क्षेत्रों में स्थित सेनिटरी लैंडफिल में निस्तारित करेगी। जिला अधिकारी एवं जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा अपशिष्ट प्रसंस्करण और सेनिटरी लैंडफिल के लिए भूमि का चयन किया जायेगा। सेनिटरी लैंडफिल की संतृप्ति पर एम.एस.डब्लू नियम 2016 की अनुसूची 3 के अनुसार वृक्षारोपण के माध्यम से इन सेनिटरी लैंडफिल स्थलों को हरित पट्टी द्वारा स्थायित्व दिया जायेगा।

6.10.1 पुर्नचकण के अयोग्य अपशिष्टों का निपटन:-

टोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हैडलिंग नियम 2016 के अनुपालन में डाइपर्स, तौलिए या नेपकिन, टैम्पोन,कंडोम, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरूप अपशिष्ट को अजैविक अपशिष्ट के साथ निस्तारित किया जायेगा। इसको पृथक करके भूमि में बड़े गड्डों में दबाया जायेगा या भष्मीकरण (INCINERATOR) यंत्र द्वारा उपचारित किया जायेगा।

6.10.2. गैर पुर्नचकणीय अपशिष्ट :- 1500 कि० कैलोरी/कि.ग्रा या अधिक कैलोरीफिक मान रखने वाले गैर पुर्नचकण अपशिष्टों को ईंधन की तरह ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों में भेजा जाएगा। इन अपशिष्टों का उपयोग लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाने में उपयोग किया जायेगा।

6.10.3 घरेलू घातक अपशिष्ट:- जैसे- एयरोसोल के डिब्बे,बैटरी,ब्लीच,रसायन,सॉल्वैंट्स, लिथियम,पेंट्स,स्नेहक,थिन्नर के डिब्बे आदि, सामान्य चिकित्सा अपशिष्ट जैसे- इंसुलिन

सिरिंज,साइटोटॉक्सिक ड्रग्स,एक्सपायर्ड दवाएं आदि को पीले रंग के बैग में पैक किया जाएगा और खतरनाक अपशिष्ट के साथ बायोमेडिकल बेस्ट के साथ निस्तारित किया जायेगा।

6.11 ग्रामीण सड़कों /रास्तों एवं नालियों की सफाई कार्यों के लिए नियम:-

भारत सरकार के सी0एच0ई0ई0पी0ओ0 मैनुअल के आधार पर ग्राम पंचायतों में सड़कों, रास्तों एवं नालियों की सफाई के लिए सड़कों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा।

उच्च जन घनत्व क्षेत्र = 350 मीटर

मध्यम जन घनत्व क्षेत्र = 600 मीटर

कम जन घनत्व क्षेत्र = 750 मीटर

भाग – 7

सामुदायिक जागरूकता और जन शिक्षा कार्यक्रम

7.1. जनकारीप्रद शिक्षा सामग्री:-

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है इसके लिए शिक्षा सामग्री को स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से समुदाय तक पहुँचाया जाएगा। ग्राम पंचायतों को क्षेत्र विशेष के अनुरूप विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अपशिष्ट एकत्रण से लेकर उसके निस्तारण तक जन सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके। ग्राम पंचायतों के वार्ड के माध्यम से समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित कराना, जिससे क्षेत्र की संपूर्ण स्वच्छता को बनाया रखा जाए।

7.2 राज्य स्तर पर प्रोत्साहन और निर्वहन:-

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हैडलिंग नियम 2016 और जी.ओ.113/07/XII/30(11)2006 दिनांक 02/04/2007 को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों को स्वमूल्यांकन के माध्यम से प्रमुख संकेतकों के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। उनका मूल्यांकन एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो अच्छी तरह से एस.डब्ल्यू.एम नियम 2016 और समग्र स्वच्छता अभियान से भिन्न हो। नीति का पालन न करने वाले और नीति में चूक करने वाले गैर जिम्मेदार ग्राम पंचायतों को दण्डित किया जाएगा जिसके लिए ग्राम प्रधान जवाबदेह होगा।

7.3. ग्राम पंचायतों के लिए डाटा बैंक और अन्य कार्यक्रम:-

समय-समय पर भौतिक सत्यापन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं निगरानी के लिए निदेशालय स्तर पर एक डेटा बैंक बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर विस्तृत परियोजना विवरण तैयार करने तथा ग्राम पंचायतों को राज्य एवं केन्द्र से प्राप्त होने वाली धनराशि/रेखीय विभागों की योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि से कूड़ा प्रबन्धन के लिए अवस्थापना सम्बन्धित सुविधायें जुटाई जायेंगी।

7.4. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण :-

ग्राम पंचायतों को ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबन्धन के लिए समय-समय पर क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

7.5 अपशिष्ट प्रवाह

भाग – 8

बायोमैडिकल कचरे का प्रबंधन

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू.ई.पी.पी.सी.बी) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2016 के अनुसार जैव चिकित्सा कचरे को अनिवार्य रूप से प्रबंधन करेगा।

8.1 अस्पताल, क्लीनिक, रोग विज्ञान केन्द्र नर्सिंग होम से संग्रह

मैडिकल कचरे को स्रोत पर अलग किया जाना चाहिए और श्रेणियों के अनुसार एकत्र किया जाना चाहिए और नीचे सारणी के रूप में निपटाया जाना चाहिए :-

कलर कोड	डिब्बे का प्रकार	अपशिष्ट का प्रकार	उपचार का विकल्प
पीला	प्लास्टिक बैग	1, 2, 3,5,6 व 7	इंसीनिरेशन प्लाज्मा पाव्थोलसिस गहवाई से दबाना
लाल	प्लास्टिक बैग	8	ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, या केमिकल ट्रीटमेंट, पुर्नचकण
सफेद	प्लास्टिक बैग	4	ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या केमिकल ट्रीटमेंट, डिस्ट्रक्शन श्रेडिंग
नीला	प्लास्टिक बैग	9, 10	पुर्नचकण द्वारा निस्तारण

8.1 अपशिष्ट की श्रेणियां इस प्रकार हैं:-

1 = ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, 2 = एनिमल वेस्ट, 3 = माइक्रोबायोलोजी एण्ड बायो टेक्नोलोजी वेस्ट, 4 = डिसकार्डेड मैडिसिन एण्ड सायटोटोक्सिक ड्रग्स, 5 = सॉइलड वेस्ट, 6 = कन्टेमिनेटेड वेस्ट (रीसाइक्लेबल), 7 = वेस्ट शार्प, 8 = मैटालिक बॉडी इम्प्लान्ट, 9 = ग्लास बेस्ट एवं 10 = कैमिकल वेस्ट

भाग -9

संस्थागत ढाँचा

संस्थागत ढाँचा, शब्द औपचारिक संगठनात्मक संरचनाओं, नियमों और सेवा प्रावधान के लिए अनौपचारिक मानदण्डों के एक संग्रह को प्रदर्शित करता है। इस तरह के ढाँचा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक्षेप के सफल क्रियावन्धन की पूर्ण अर्हता है।

9.1. राज्य स्तर पर कार्यकारिणी समिति :

अधिकारी	पद	गतिविधि	अनुमानित परिणाम
मुख्य सचिव	अध्यक्ष	<ul style="list-style-type: none"> कार्यक्रम की समीक्षा एवं निर्देश जारी करना। कार्यक्रमों का समय-समय पर अनुश्रवण करना एक समग्र नीति विकसित करने के लिए विभागों के साथ सहभागिता वित्त प्रबन्धन शहरी क्षेत्रों के लिए आई.एस. डब्ल्यू. एम पर राज्य नीति को अपनाना 	<ul style="list-style-type: none"> आई.एस.डब्ल्यूएम कार्यक्रम में लचीलापन और अनुकूलनशीलता कचरे की समस्या का एकीकृत समाधान ग्रामीण इलाकों में आई.एस. एब्ल्यूएम. कार्यक्रम को उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यान्वयन सुनिश्चित करना सरकार की स्वच्छ भारत अभियान की नीति लक्ष्य को प्राप्त करने में आई. एस.डब्ल्यूएम, को भाग लेने और समर्थन करना, भारत की पर्यटक आबादी के बीच जागरूकता निर्माण गतिविधियों। योजनाओं के निष्पादन में वित्तीय व्यवस्था को नियोजित करना वनों के लिए वन संरक्षण अनिधिनिय 1986 को कार्यान्वित करना और
प्रमुख सचिव/सचिव पंचायतीराज	सदस्य/सचिव		
प्रमुख सचिव/सचिव वित्त	सदस्य		
प्रमुख सचिव /सचिव शहरी विकास	सदस्य		
प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन	सदस्य		
प्रमुख सचिव/सचिव वन और पर्यावरण	सदस्य		

			सेनेटरी लैंडफिल एवं खाद तैयार करने हेतु भूमि को चिन्हित करना।
प्रमुख सचिव / सचिव आवास	सदस्य		<ul style="list-style-type: none"> यू.ई.पी.पी.सी.बी, बी.एम. डब्ल्यू प्रबन्धन को प्रभावी ढंग से लागू करना।
प्रमुख सचिव / सचिव लोक निर्माण विभाग	सदस्य		<ul style="list-style-type: none"> अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए आवास कॉलोनियों की योजना बनाते समय संरचनात्मक परिवर्तन शामिल करना,।
सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य		<ul style="list-style-type: none"> अवशिष्टों का उपयोग फुटपाथ और सड़क निर्माण के लिए नीति विकसित करना।
सचिव, पेयजल	सदस्य		<ul style="list-style-type: none"> आई.एस.डब्ल्यू.एम गतिविधियों के लिए भूमि की पहचान/प्रमाणीकरण के लिए एस.डब्ल्यू.एम प्राधिकरण की स्थापना एवं कार्य मॉडल तैयार करना।
निदेशक, पंचायतीराज	सदस्य		<ul style="list-style-type: none"> नीतियों को लागू करना

92 निदेशालय स्तर पर सलाहकार समिति

अधिकारी	पद	गतिविधि	अनुमानित परिणाम
निदेशक	अध्यक्ष	<ul style="list-style-type: none"> समन्वय एवं निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करवाना बीएमडब्ल्यू के नियम का अनुपालन करना पर्यटन संबंधी गतिविधियों में 	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर नीतियों को लागू करना आई.एस.डब्ल्यू.एम नीति और मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना दूषित बी.एम.डब्ल्यू के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करना
संयुक्त निदेशक	सदस्य सचिव		
क्षेत्रीय अधिकारी, यू.ई.पी.पी.सी.बी	सदस्य		
उप निदेशक उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	सदस्य		

विशेषज्ञ एस.डब्ल्यू.एम	सदस्य	जागरूकता ● ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर नियमित रूप से नियमों से विज्ञ करना	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वच्छ भारत अभियान का अनुपालन सुनिश्चित करना ● कार्यान्वयन की निगरानी और ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए तकनीकी सहयोग देना।
---------------------------	-------	--	---

9.3. जिला स्तर पर निगरानी और कार्यान्वयन समिति :

अधिकारी	पद	गतिविधि	अनुमानित परिणाम
जिला अधिकारी	अध्यक्ष	<ul style="list-style-type: none"> ● समन्वय एवं जारी निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करवाना व ● समय-समय पर कार्यक्रम की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी करना। ● जिला पंचायत प्रशासित क्षेत्रों के लिए आईएसडब्ल्यूएम पर नीति को अपनाना 	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला स्तर पर पर आईएस. डब्ल्यूएम कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वयन की समीक्षा। ● अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पेरी शहरी क्षेत्रों/ ग्राम पंचायत में आईएसडब्ल्यूएम कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ● स्वच्छ जंगलों को सुनिश्चित करना और कचरे की पहचान करने में मदद करना-खाद साइटों और सेनेटरी लैंडफिल के विकास के लिए जमीन के चयन में सहयोग करना ● कार्यक्रमों को ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित करवाना ● भारत सरकार की स्वच्छ भारत अभियान की नीति लक्ष्य को प्राप्त करने में आईएसडब्ल्यूएम को भाग लेने और समर्थन करना। ● जीएमवीएन ओर केएमवीएन में आईएसडब्ल्यूएम कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ● अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों में
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य		
प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य		
जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य / सचिव		
जिला पर्यटन विकास अधिकारी	सदस्य		
विनयमित क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण के सचिव	सदस्य		
लोक निर्माण विभाग /सड़क निर्माण में लगी अन्य एजेन्सियों के नोडल अधिकारी	सदस्य		
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य		
जिला परियोजना अधिकारी- बाल विकास	सदस्य		
नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	सदस्य		
मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य		
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य		
खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य		
मुख्य नगर अधिकारी	सदस्य		

/ अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय			<p>ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए आवास कॉलोनियों की योजना बनाते समय संरचनात्मक परिवर्तन शामिल करना,।</p>
ब्लाक प्रमुख	सदस्य		<ul style="list-style-type: none"> ● अवशिष्टों से तैयार उत्पादों का उपयोग फुटपाथ और सड़क निर्माण के लिए नीति का परिपालन सुनिश्चित करना। ● अपने कार्यक्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को सुनिश्चित करना ● अपने कार्यक्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को सुनिश्चित करना

9.4. जिला स्तर पर सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति :

अधिकारी	पद	गतिविधि	अनुमानित परिणाम
अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष	<ul style="list-style-type: none"> कार्यक्रमों की समीक्षा करना गतिविधियों का अनुश्रवण कर आवश्यक दिशा निर्देश देना आई.एस.डब्ल्यू.एम. को अंगीकृत करना 	<ul style="list-style-type: none"> जिला स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को क्रियान्वित करने के लिए मार्गदर्शन देना। जनपद स्तर पर नीति को के प्रावधानों का अपनाने के लिए वातावरण बनाना।
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य / सचिव		
जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य		
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य		
प्रमुख क्षेत्र पंचायत	सदस्य		
मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य		
जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य		
प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य		
नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	सदस्य		
अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0	सदस्य		
अधिकासी अभियन्ता जल संस्थान	सदस्य		
जिला पर्यटन अधिकारी	सदस्य		
प्रत्येक ब्लाक से 2 नामित ग्राम प्रधान	सदस्य		

9.4.1. पंचायत स्तर पर भूमिका और उत्तरदायित्व :

संबंधित जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी इन नियमों एवं प्रावधानों को लागू करवाने की होगी, जो उनके क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर हैं। जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु भूमि का चयन सुनिश्चित किया जायेगा।

9.4.2 ग्राम पंचायत स्तर पर मशीनरी/उपकरणों की खरीद :

संबंधित जिले के जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम पंचायतों द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए वांछित उपकरणों का कय उत्तराखण्ड राज्य खरीद नियमों के अनुपालन में ही हो।

9.5 समूह कार्य के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के क्रियान्वयन हेतु समिति का प्रारूप

- अध्यक्ष, ग्राम पंचायत द्वारा अध्यक्षता
- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी – सचिव
- निर्वाचित सदस्य
- एसडब्ल्यूएम में काम कर रहे प्रमुख गैर सरकारी संगठन
- वरिष्ठ नागरिक (सेवानिवृत्त)
- हितधारक – सामाजिक संस्थायें, धार्मिक प्रमुख, स्कूल, व्यापारी, संस्थान,होटल,आश्रम, पत्रकार, आशा कार्यकर्त्री,ए.एन.एम. आंगनवाडी कार्यकर्त्री, प्रत्येक एक सदस्य

भाग -10

मुख्य प्रदर्शन संकेतक

मुख्य प्रदर्शन संकेतक वाछिंत स्तर पर वितरण प्रणाली का आंकलन करने के लिए एक मात्रात्मक माप का उपकरण है इस सूचक का ध्यान ग्राम पंचायतों की समग्र सफाई के मामले में गुणात्मक शर्तों में होना चाहिए और अपशिष्ट के पुनर्नवीनीकरण की मात्रा के डेटा बेस के आधार पर होना चाहिए।

ग्राम पंचायत के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक :

परिपेक्ष	क्रियान्वयन क्षेत्र	ईकाई	क्रियान्वयन सूचक	परिणाम पैमाना
संस्थागत	ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य समूह	सदस्यों की संख्या	नागरिक चार्टर का प्रारूपण और ग्रामीण स्वच्छता समिति के साथ एक समझौता	स्वयं के लेखा प्रणाली के साथ स्वच्छ समिति की संख्या
	घर घर से संग्रह के लिए नई संगठनात्मक संरचना को लागू करें	क्विंटल	घर- घर से कूड़ा संग्रह में कर्मचारियों का स्थान-निर्धारण, पहाड़ों में 50 घरों एवं मैदानी क्षेत्रों की पंचायतों में 100 घर पर एक स्वच्छक	ग्राम स्वच्छता समिति के माध्यम से अपशिष्ट स्रोत को अलग करना और उसका पुर्नचकण के माध्यम से अंतिम निपटान करने हेतु उपयोगकर्ताओं से अनिवार्य रूप से शुल्क लिया जाना।
	अजैविक पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट के माध्यम से उपभोक्ता अपशिष्ट और खाद की बिक्री के माध्यम से व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा	क्विंटल	अजैविक पुनर्नवीनीकरण कचरे में मूल्य श्रृंखला	पुर्नचकण और कम्पोस्ट की बिक्री से राजस्व का उत्पादन

	देना।			
आंतरिक और बाह्य हितधारकों के साथ संचार	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नागरिक चार्टर के विकास और कार्यान्वयन		सभी हितधारकों की भागीदारी जिसमें स्कूल,होटल,लॉज,आश्रम और समुदाय आधारित संगठन शामिल है।	नागरिकों का प्राधिकार
मानव संसाधन विकास	कार्यबल कौशल के विकास और कार्यान्वयन		उपभोक्ता अपशिष्ट और इसके निपटान के बाद अजैविक व खाद का पुर्नचक्रण	कचरे के खाद और पुर्नचक्रण का संवर्धन जिससे अपशिष्ट हैंडलिंग की क्षमता को बढ़ाना।
	कार्यबल कौशल विकसित करने पर खर्च बजट		अपशिष्ट संग्रह और निपटान के लिए नई तकनीक के किस्टलीकरण के लिए आवश्यक खर्च	कुल वार्षिक बजट, आय
	अपशिष्ट न्यूनीकरण साझेदारी योजना का विकास	संख्या	अपशिष्ट को कम करने और निपटान के लिए भूमि की आवश्यकता के लिए एक समग्र योजना।	ऐसे क्षेत्रों को देखने के लिए जहाँ अपशिष्ट उत्पादन के आस पास अपशिष्ट का उपचार किया जा सके जैसे –होटल, संस्थान ,सरकारी उपनिवेश के अन्दर भूमि आदि।
	अपशिष्ट न्यूनीकरण संचार योजना		थोक उत्पादन में घर के आस पास में खाद बनाने के लिए अपशिष्ट न्यूनीकरण	अपशिष्ट न्यूनीकरण योजना को लागू करने के लिए अपशिष्ट उत्पादन को शामिल

अपशिष्ट शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण			योजना का कार्यान्वयन।	करना।
	स्कूलों के अपशिष्ट विकास और क्रियान्वयन जागरूकता और सूचना प्रसार	संख्या	स्कूल परिसर में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम जिसमें सरकार और पब्लिक स्कूल भी सम्मिलित हो।	परिसर के अंदर अपशिष्ट प्रबंधन के पृथक्करण और प्रबंधन के लिए बच्चों को प्रशिक्षण
	होटल, कर्मियों, आश्रमों लॉज आदि के लिए अपशिष्ट जागरूकता और शिक्षा योजना के विकास और कार्यान्वयन योजना	संख्या	एक कार्यवाही आधारित कार्यक्रम जो स्रोत के पृथक्करण और कुशल उपयोग के निपटान को बढ़ावा देना।	होटल, लॉज मालिकों को प्रशिक्षण के माध्यम से स्रोत पृथक्करण और पुर्नचक्रण के खाद और निपटान का महत्व बताना
	दुकानों, व्यापार केंद्रों, सड़क विक्रेताओं आदि के लिए अपशिष्ट जागरूकता और शिक्षा योजना के विकास और क्रियावन्धन योजना	संख्या	शाम/ रात के समय में अपशिष्ट का संग्रहण के लिए कार्यक्रम	शाम/ रात के समय में अपशिष्ट का संग्रहण के लिए कार्यक्रम
	सार्वजनिक कार्यक्रमों में जागरूकता और शिक्षा के विकास और क्रियान्वयन		घटनाओं के दौरान मेले, चार धाम यात्रा, धार्मिक समारोहों और उपदेशों, कार्यक्रमों, समुदाय आधारित संगठनों द्वारा आयोजित विवाह सामुहिक समारोहों के दौरान	कार्यक्रम संचालकों का प्रशिक्षण और एक उपयोगकर्ता शुल्क के लिए अपशिष्ट संग्रह और निपटान के विशेष प्रावधान।

			अपशिष्ट संग्रहण के लिए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए।	
अपशिष्ट संग्रहण	संग्रह कार्यो का अनुकूलन	कि.ग्रा.	अपशिष्ट एकत्रीकरण प्रति कर्मचारी प्रति दिन	प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक माह में एकत्रित अपशिष्ट की कुल मात्रा
		प्रतिशत	कंटेनीकृत वाहनों जैसे रिक्शा,टेले,कूड़ादान सफाई कर्मी	अपशिष्ट संग्रहण के लिए पहाड़ी और मैदानी इलाकों के अनुकूल कूड़ा प्रबंधन जिससे अपशिष्ट का भण्डारीकरण किया जा सके।
अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान	प्रबंधन प्रणाली	प्रतिशत	अपशिष्ट प्रसंस्करण से और निपटान नीति का विकास और कार्यान्वयन।	अवयव कम्पोस्टिंग और पुर्नचकण के माध्यम से निस्तारण नीति
	निपटान सुविधायें		एम.एस.डब्ल्यू नियम 2000 और जी.ओ No.113/07/XII/ 90(11)2006 दिनांक अप्रैल 2, 2007 का नियामक अनुपालन	अनुपालन की सीमा
	अपशिष्ट संग्रहण के स्थल और सामग्री की प्राप्ति से सम्बन्धित सुविधाएं	संख्या	नीति के आधार पर स्थानांतरण स्टेशनों के विकास को लागू करना।	उपलब्ध सुविधाओं की संख्या


	विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत आधार पर खाद की सुविधाएं।	कि.ग्रा/टन में संसाधित कचरे की संख्या और मात्रा	जैविक अपशिष्टों की पहचान करने के लिए योजना का विकास और कार्यान्वयन।	योजना का कार्यान्वयन
	निर्माण एवं तुड़ाई से जनित अपशिष्ट के निपटान के लिए नीति और कार्यान्वयन योजना	टन	फुटपाथ और सड़कों का निर्माण करने के लिए ऐसे अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए विशेष योजना।	योजना का कार्यान्वयन
क्षेत्र की स्वच्छता	नीति और प्रबंधन योजना		क्षेत्र की सफाई सेवा की नीतियों को अंतिम रूप देना	नीति का कार्यान्वयन
			क्षेत्र की सफाई सेवा की नीतियों का कार्यान्वयन	कुल सार्वजनिक क्षेत्रों की सीमा जहां सेवा दी गई
			शहर की संपूर्ण स्वच्छता	मासिक आधार पर की गई प्रगति की तुलना, फोटोग्राफिक स्वच्छता सूचकांक का उपयोग करने के लिए मानकों का अनुपालन।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	नीति और प्रबंधन योजना	क्वंटल	प्लास्टिक की गुणवत्ता के अनुसार आंकलन	काठगोदाम में अपशिष्ट का अंतिम निस्तारण।
सैनेटरी लैन्डफिल	नीति और प्रबंधन योजना	क्वंटल	सैनेटरी लैन्डफिल एस. डब्ल्यू.एम नियम 2016	अवशेष कचरा और बाकि पुर्नचकण अयोग्य

के विकास के लिए गांवों में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण			की अनुसूची 1 के अनुरूप	अपशिष्ट
--	--	--	---------------------------	---------

भाग – 11

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के लिए संगठनात्मक चार्ट

:



भाग – 12

उल्लंघन,दंड और पुरस्कार :

- कोई भी व्यक्ति/संस्थान /सरकारी निकाय जो अपशिष्ट को नालियों, सार्वजनिक सड़के, गली,सड़कों के किनारे,पहाड़ी ढलानों,जल स्रोत, नदी,नालों,नहरों या कोई ऐसा स्थान जहाँ पर अपशिष्ट डालना वर्जित है वहा पर डाले जाने पर पंचायत राज अधिनियम संख्या 46 की उपधारा 16 एवं 17 के अंतर्गत दण्ड का पात्र होगा।
- जो कोई नियमों का उल्लंघन करने में दोषी पाया जाता है उससे चालान और राजस्व वसूली का कार्य पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होगी।
- यदि किसी ग्राम पंचायत के प्रधान/उपप्रधान, सदस्य अथवा अवशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित दायित्वों के निर्वहन हेतु अपेक्षित किसी अन्य पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा यदि कार्यो में लापरवाही बरतना अथवा उससे/उनसे अपेक्षित दायित्वों की निर्वहन में अक्षम रहता है तो यह उसके कर्तव्यों के प्रति चूक एवं सुसंगत नियमों का उल्लंघन माना जायेगा तथा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 138 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेंगी।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हैडलिंग नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 29 में पारित किये गये है। नियमों की अवहेलना पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की रिट याचिका नंबर 80/12 साईं नाथ सेवा मण्डल बनाम उत्तराखण्ड राज्य सरकार और अन्य के 16 मार्च 2017 के निर्णय में, ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त नीति को अनुपालन नहीं करते हैं उन पर वित्तीय दण्ड का प्रावधान निर्देशित है।

12.1 उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार

- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रति वर्ष पुरस्कृत जाएगा। पंचायतों की संख्या एवं प्रावधान राज्य स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।

खण्डवार ज्ञापन

प्रस्तावित नीति ग्राम पंचायतों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था को उपबन्धित करने के लिए अधिनियमित किया जा रहा है।

प्रस्तावित नीति पर खण्डवार ज्ञापन निम्नवत है।

खण्ड – 1 नीति की प्रस्तावना के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 2 पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 3 (क) जिम्मेदार संस्थाएं –ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 4 शासकीय सिद्धांत के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 5 अभिनव तकनीकों के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 6 प्रसंस्करण दिशानिर्देश के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 7 सामुदायिक जागरूकता एवं जन शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 8 बायोमैडिकल कचरे का प्रबन्धन के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 9 संस्थागत ढांचा के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 10 मुख्य प्रदर्शन संकेतक के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 11 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने के लिए संगठनात्मक चार्ट के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 12 उल्लंघन और दण्ड के सम्बन्ध में उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।